

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1387
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवास

1387. श्री खलीलुर रहमान:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत निर्मित आवासों की संख्या पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार और जिला-वार कितनी है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले लक्षित आवासों की संख्या कितनी है और पश्चिम बंगाल सहित राज्यवार कितने आवासों का निर्माण शेष है; और
- (ग) यदि हाँ, तो आवासों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेमासानी)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का क्रियान्वयन कर रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवासों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जा सके। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना था। भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत दिनांक 24.07.2025 तक की स्थिति अनुसार मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.12 करोड़ आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया

है, जिसकी तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 3.84 करोड़ लाभार्थियों को मंजूरी दी है और 2.81 करोड़ आवास पहले ही पूरे हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में, इस मंत्रालय द्वारा 45,69,423 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसकी तुलना में दिनांक 24.07.2025 तक की स्थिति अनुसार 34,19,419 आवास पूरे हो चुके हैं। इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.07.2025 तक पश्चिम बंगाल सहित आवंटित संचयी लक्ष्यों, स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा अनुबंध में दिया गया है।

इसके अलावा, लक्ष्य, स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट <https://pmayg.dord.gov.in/--->AwaasSoft--->Report--->Houses progress against the target financial year> पर देखा जा सकता है।

(ग): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका समग्र लक्ष्य मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवासों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है।

अनुबंध

“पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवास” के संबंध में लोकसभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1387 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-जी के तहत दिनांक 24.07.2025 तक की स्थिति अनुसार आवंटित संचयी लक्ष्यों, स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी लक्ष्य | राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत संचयी आवास | पूर्ण संचयी आवास |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 35,937 | 35,591 | 35,591 |
| 2 | অসম | 29,87,868 | 28,75,392 | 20,71,467 |
| 3 | बिहार | 50,12,752 | 49,01,233 | 38,30,403 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 26,42,224 | 23,75,745 | 14,89,544 |
| 5 | गोवा | 257 | 254 | 242 |
| 6 | ગુજરાત | 9,02,354 | 8,29,202 | 5,88,790 |
| 7 | हरियाणा | 1,06,460 | 74,909 | 39,732 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 1,21,502 | 97,550 | 35,322 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 3,36,498 | 3,34,773 | 3,13,323 |
| 10 | झारखण्ड | 20,12,107 | 19,39,716 | 15,71,615 |
| 11 | केरल | 2,32,916 | 76,167 | 34,363 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 57,74,572 | 49,38,196 | 38,47,563 |
| 13 | महाराष्ट्र | 43,70,829 | 40,82,626 | 13,80,724 |
| 14 | मणिपुर | 1,08,550 | 1,01,549 | 38,028 |
| 15 | मेघालय | 1,88,034 | 1,85,772 | 1,49,460 |
| 16 | मिजोरम | 29,967 | 29,959 | 25,307 |
| 17 | नागालैंड | 48,830 | 48,760 | 36,216 |
| 18 | ओडिशा | 28,49,889 | 28,11,018 | 24,20,261 |
| 19 | ਪंजाब | 1,03,674 | 76,723 | 41,452 |
| 20 | राजस्थान | 24,97,121 | 24,32,047 | 17,49,778 |
| 21 | सिक्किम | 1,399 | 1,397 | 1,393 |
| 22 | तमिलनाडु | 9,57,825 | 7,43,290 | 6,45,573 |
| 23 | त्रिपुरा | 3,76,913 | 3,76,279 | 3,71,132 |
| 24 | उत्तर प्रदेश | 36,85,704 | 36,56,226 | 36,37,964 |
| 25 | उत्तराखण्ड | 69,194 | 68,534 | 68,218 |
| 26 | पश्चिम बंगाल | 45,69,423 | 45,69,032 | 34,19,419 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 27 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 3,424 | 2,593 | 1,302 |
| 28 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 11,364 | 10,935 | 5,020 |
| 29 | लक्ष्मीपुर | 45 | 53 | 45 |
| 30 | आंध्र प्रदेश | 2,47,114 | 2,46,930 | 88,799 |
| 31 | कर्नाटक | 9,44,140 | 5,02,838 | 1,57,328 |
| 32 | तेलंगाना | 0 | 0 | 0 |
| 33 | लद्दाख | 3,004 | 3,004 | 3,004 |
| कुल | | 4,12,31,890 | 3,84,28,293 | 2,80,98,378 |

नोट: पीएमएवाई-जी दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित नहीं है। तेलंगाना राज्य ने पिछले चरण (2016-17 से 2023-24) के दौरान पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं किया था।
